

उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4
संख्या-3143/14-4-2017-रिट(6)/2017
लखनऊ, दिनांक, 11 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबन्ध हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्ध) नियम-2017" की अधिसूचना दिनांक 26.09.2017 के बिन्दु-5 के अन्तर्गत निहित व्यवस्था के अनुसार "उ०प्र० राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण" निम्नानुसार गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- | | |
|--|--------------|
| (i) मा० मंत्री, वन एवं वन्य जीव विभाग, उ०प्र० | — अध्यक्ष |
| (ii) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन | —उपाध्यक्ष |
| (iii) सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन | —पदेन सदस्य |
| (iv) सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उ०प्र० शासन | —पदेन सदस्य |
| (v) सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन | —पदेन सदस्य |
| (vi) सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन | —पदेन सदस्य |
| (vii) सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन | —पदेन सदस्य |
| (viii) सचिव/प्रमुख सचिव, मत्स्य उत्पादन विभाग, उ०प्र० शासन | —पदेन सदस्य |
| (ix) सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन | —पदेन सदस्य |
| (x) सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन | — पदेन सदस्य |
| (xi) निदेशक, राज्य सुदूर संवेदी केन्द्र, उ०प्र० | — पदेन सदस्य |
| (xii)सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड, उ०प्र० | — पदेन सदस्य |
| (xiii) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ०प्र० | — पदेन सदस्य |
| (xiv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र० | — पदेन सदस्य |
| (xv) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रत्येक का एक विशेषज्ञ | |
| (xvi) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/ मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उ०प्र० | —सदस्य सचिव |

राजीव कुमार
मुख्य सचिव

संख्या-3143(1)/14-4-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- प्राधिकरण के समस्त सदस्य गण।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त प्राधिकरण से संबंधित सभी सदस्यों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
- 4- गार्ड फाइल

Dr. C. S. Singh

आज्ञा से
Dr. D. P. Kohli
(डॉ० दीपक कोहली)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-4
संख्या-लखनऊ/81-4-2020 रिट(6)/2017
लखनऊ, दिनांक, 16 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रवन्ध हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रवन्ध) नियम-2017" की अधिसूचना दिनांक 26.09.2017 के बिन्दु-5 के अन्तर्गत निहित व्यवस्था के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-3143/14-4-2017-रिट(6)/2017, दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा "उ०प्र० राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण" का गठन किया गया है, जिसमें पदेन सदस्य सचिव के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र०/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उ०प्र० नामित है।

2- प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्राधिकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र०/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उ०प्र० के स्थान पर मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास, उ०प्र० को पदेन सदस्य सचिव के रूप में नामित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त के अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-3143/14-4-2017-रिट(6)/2017, दिनांक 11 जनवरी, 2018 के अन्य तथ्य यथावत रहेंगे।

CCFELG

AT
PCCFLL
16/11/20

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० वन मंत्री, उ०प्र०।
- 2- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 3- मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास, उ०प्र०।
- 4- प्राधिकरण के समस्त सदस्यगण।
- 5- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी सदस्यों को अपने स्तर से सूचित करने कष्ट करे।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डॉ० दीपक कोहली)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4
संख्या-847/14-4-2018-रिट(6)/2017
लखनऊ, दिनांक, 25 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबन्ध हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्ध) नियम-2017" की अधिसूचना दिनांक 26.09.2017 के बिन्दु-5(6) के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार समितियाँ गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- Technical Committee

I	सचिव वन एवं वन्य जीव विभाग, उ०प्र० शासन	पदेन अध्यक्ष
II	सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का न हो-	पदेन सदस्य
III	सचिव, मत्स्य विभाग, उ०प्र० शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का न हो-	पदेन सदस्य
IV	सचिव, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का न हो-	पदेन सदस्य
V	सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का न हो-	पदेन सदस्य
VI	राज्य स्तर पर आर्द्रभूमि प्राधिकरण हेतु आर्द्रभूमि पारिस्थितिकीय क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ-	पदेन सदस्य
VII	राज्य स्तर पर आर्द्रभूमि प्राधिकरण हेतु जल विज्ञान क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ-	पदेन सदस्य
VIII	वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना (नोडल अधिकारी, वेटलैण्ड्स वन विभाग), उ०प्र०, लखनऊ-	पदेन सदस्य सचिव

उक्त समिति आर्द्रभूमि से सम्बन्धित संक्षिप्त दस्तावेजों और प्रबन्ध योजनाओं का पुनर्विलोकन करने तथा आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी तकनीकी विषय पर सलाह देने का कार्य करेगी।

2- Grievance Committee


I	सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उ०प्र० शासन-	पदेन अध्यक्ष
II	सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का न हो-	पदेन सदस्य
III	सचिव, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का न हो-	पदेन सदस्य
IV	सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का न हो-	पदेन सदस्य
V	वन संरक्षक, लुप्त प्राय परियोजना (नोडल अधिकारी वेटलैण्ड्स वन विभाग) उ०प्र०, लखनऊ-	पदेन सदस्य सचिव

उक्त समिति जनता द्वारा प्राधिकरण को की गयी शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हें अग्रेषित करने के लिए एक कार्यतन्त्र के रूप में कार्य करेगी।

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-847(1)/14-4-2018 तददिनांक।


- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 2- निजी सचिव, सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 5- ✓ समस्त सदस्य, टेक्निकल एवं ग्रीवान्स कमेटी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र०।
 - 6- निजी सचिव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, लखनऊ।
 - 7- मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर।
 - 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रसंख्या- 25 /26-11 (UPSWA) लखनऊ: दिनांक : मई 30 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. सचिव, मत्स्य विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. सचिव, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
5. सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
6. वन संरक्षक, लुप्त प्राय परियोजना (नोडल अधिकारी वेटलैण्ड वन विभाग), उ०प्र०, लखनऊ।
7. डा० ए०के०पटनायक, आई०एफ०एस०, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उड़ीसा, सी-5, वी०जे०वी० नगर, भुवनेश्वर-751014
8. डा० वी०सी०गोयल, वैज्ञानिक "जी" एवं अध्यक्ष, आर०एम०ओ०डिवीजन, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की (उत्तराखण्ड)।


(एस०के० उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र०/
सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

(3/3)

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4
संख्या-230/14-4-2019-रिट(6)/2017
लखनऊ, दिनांक, 03.04.2019

कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि-पत्र

आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबन्ध हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्ध) नियम-2017" की अधिसूचना दिनांक 26.09.2017 के बिन्दु-5(6) के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-847/14-4-2018-रिट(6)/2017 दिनांक 25.05.2018 द्वारा गठित 02 समितियों-1-Technical Committee व 2-Grievance Committee में से Technical Committee के बिन्दु-V व VII को सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार संशोधित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

-1-Technical Committee

V	सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का न हो -	पदेन सदस्य
VII	राज्य स्तर पर आर्द्रभूमि प्राधिकरण हेतु जल विज्ञान क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ अथवा निदेशक, राज्य भू-जल बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ -	पदेन सदस्य


2- उक्त के अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-847/14-4-2018-रिट(6)/2017 दिनांक 25.05.2018 के शेष तथ्य यथावत/पूर्ववत पढ़े जायेंगे।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-230(1)/14-4-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।
- 5- समस्त सदस्य, टेक्निकल एवं ग्रीवान्स कमेटी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।
- 6- निजी सचिव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

2151

Pccf (wh)

Pccf 4/14

APCCF(ECO)

Pccf (wh) 03/04/19

Upadhyaya

